

13/02/24

~~XXXX~~

पत्रावली पैरा हुई। वकील उभयपक्ष
 हाजिर हुए। मुला काद मुलाबिक नमस्ते
 कुर्जात अरिभ डिक्ती किया जा चुका
 है, अतः T.P. पत्रावली इसका स्वतः
 निरस्त मौक्य होने के कारण स्वतः
 खारिज की जाती है। पत्रावली केसल
 सुमार होकर बाहू तकमील दाखिल
 दफ्तर हो। नियम खुले न्यायालय
 में सुनाया जाकर मेरे दरवाजे व
 न्यायालय. मुडा से जारी किया गया।

Kant
 उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेका

